साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 10, अंक : 10 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 23 अक्टूबर 2024 से 29 अक्टूबर 2024 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

कैसे बचेंगे उत्तराखंड में धधकते जंगल, रिपोर्ट ने सुझाया रास्ता

शिमला। उत्तराखंड में वनों में लगने वाली आग से निपटने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को यह निर्देश दिए जाने चाहिए कि वो आग के बेहतर प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए उत्तराखंड वन विभाग को धन मुहैया कराए। यह बातें एमिकस क्यूरी गौरव कुमार बंसल द्वारा 14 अक्टूबर, 2024 को एनजीटी में सौंपी रिपोर्ट में कही गई हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड को अपनी फायर लाइन्स की समीक्षा करनी चाहिए, जिनकी लंबे समय से जांच नहीं की गई है। यह आग के प्रभावी प्रबंधन के लिए बेहद मायने रखती हैं। उत्तराखंड सरकार को आग से निपटने के लिए लिए पर्याप्त संख्या में वन रक्षक, चौकीदार और वनपालों की भी नियुक्त करने चाहिए। उत्तराखंड सरकार से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2021 के लिए जारी अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताई सिफारिशों का भी पालन करने के लिए कहा जाना चाहिए। गौरतलब है कि 18 अप्रैल, 2024 को एनजीटी ने एमिकस क्यूरी से ऋषिकेश-देहरादून रोड के किनारे बड़कोट वन क्षेत्र में पत्तियों को जलाने के मामले में रिपोर्ट मांगी थी। एमिकस क्यूरी ने अपनी इस रिपोर्ट में उन महत्वपूर्ण कमियों और उल्लंघनों पर भी चर्चा की है जो राज्य में प्रभावी वन अग्नि प्रबंधन में बाधा डाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बंद करने के आदेश के बावजूद दोबारा शुरू हो गए ईंट भट्टे, एनजीटी ने दिए कार्रवाई के निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 15 अक्टूबर, 2024 को सम्बंधित उपायुक्त से कश्मीर में चल रहे 134 ईंट भट्टों को बंद कराने का निर्देश दिया है। यह ईंट भट्टे बंद करने के आदेश के बावजूद फिर से चालू हो गए थे। मामला सैयद रियाज बनाम जम्मू कश्मीर का है। उपायुक्त को जम्मू कश्मीर प्रदूषण

नियंत्रण समिति (जेकेपीसीसी) के साथ परामर्श और समन्वय करके आवश्यक कानूनी कदम उठाने के लिए कहा गया है। साथ ही उनसे दो माह के भीतर इस मामले में क्या कार्रवाई की है इस सन्दर्भ में एनजीटी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

एनजीटी ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भेजा नोटिस

भोपाल। देश भर में कई उद्योगों और फैक्ट्रियों के जरिए ऐसा धूल प्रदूषण किया जाता है जो वहां काम करने वाले लोगों के लिए धीमा जहर साबित होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश के बाद देशभर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और समितियों व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को सिलिका प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने और संबंधित उद्योगों व फैक्ट्रियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

एनजीटी के चेयरमैन प्रकाश श्रीवास्तव और ज्यूडिशियल मेंबर अरुण कुमार त्यागी व एक्सपर्ट मेंबर ए सेंथिल ने 3 अक्टूबर, 2024 को यह आदेश दिया है। क्रिस्टलीय सिलिका धूल के महीन कण होते हैं जो अक्सर खनन या उससे संबंधित काम के दौरान निकलते हैं और आस-पास के वातावरण में मौजूद रहते हैं। यह महीन कण सांस के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। लंबे समय तक इसके प्रभाव में रहने पर यह धीरे-धीरे व्यक्ति के फेफड़ों की कार्यक्षमता को कम कर देते हैं और सांस संबंधी कई रोग पैदा करते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति न सिर्फ अत्यंत बीमार हो जाता है बल्कि अंततः उसकी मृत्यु तक हो जाती है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में पीपुल्स राइट्स एंड सोशल रिसर्च सेंटर (प्रसार) की तरफ से वर्ष 2006 में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि आगे इस मामले की सुनवाई एनजीटी करेगा। प्रसार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई उसमें कहा गया था कि पूरे देश में सिलिका प्रदूषण की निगरानी और रोकथाम के उपायों को लेकर पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे। इसी मामले में सीपीसीबी गुजरात में स्फटिक (क्वार्टज) खनिज की ग्राइंडिग करने वाली यूनिट की जांच की थी और अपनी सिफारिशें दी थीं। सिलिका स्फटिक का प्रमुख घटक है। इस सिफारिश के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, झारखंड और दिल्ली राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व समिति के चेयरमैन को क्वार्ट्ज यूनिट्स की जांच कर उनकी कमियों को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। एनजीटी ने कहा है कि संबंधित राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर अमल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में मांग की गई है कि ऐसे

उद्योग या फैक्ट्री जो कामगारों के लिए सिलिका प्रदूषण पर रोकथाम करने में विफल हैं और आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। हालांकि, यह याचिका तब दाखिल की गई थी जब एनजीटी मौजूद नहीं था। एनजीटी पर्यावरणीय मामलों के तेजी से निपटारे के लिए है। ऐसे में उपयुक्त होगा कि वह इस मामले पर सुनवाई करे। साथ ही सिलिकोसिस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार उद्योगों और फैक्ट्रियों को आदेशों का पालन कराए या फिर अतिरिक्त कदम के लिए भी आदेश दे।

सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआरसी को सिलिका से प्रभावित कामगारों के लिए मुआवजे का तेजी से प्रावधान करने का आदेश दिया है और मुआवजे के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को भी एनएचआरसी के आदेशों का पालन कराने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सिलिकोसिस पीड़ित संघ को भी पार्टी बनाया है। हालांकि मामला अब एनजीटी के पास आ चुका है और वह इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी, 2025 को करेगा।

एनजीटी ने टार बॉल्स से जुड़े मुद्दे पर पर्यावरण मंत्रालय से मांगी नए नियमों की जानकारी

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 17 अक्टूबर, 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) से अगली सुनवाई तक संबंधित दस्तावेजों के साथ तैयार किए जा रहे नए नियमों प्रस्तुत करने के लिए कहा है। मामला टार बॉल्स और संबंधित मुद्दों के प्रबंधन से जुड़ा है। इस मामले में अगली सुनवाई छह मई, 2025 को होनी है।

वहीं पर्यावरण मंत्रालय तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि नए नियमों को तैयार करने में कम से कम छह महीनों का समय लगेगा। यह मुद्दा समुद्र में कच्चे तेल के रिसाव के चलते टार बॉल्स के निर्माण से जुड़ा है। यह समस्या खासतौर पर गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटों पर के लिए कहीं ज्यादा विकट है। इस दौरान अदालत का ध्यान संयुक्त समिति द्वारा सबमिट स्थिति रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अदालती आदेश पर गठित समिति ने एक तकनीकी उप-समिति का गठन किया है। यह उप-समिति सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करके मुद्दों का आगे अध्ययन करेगी। यह उप-समिति वैज्ञानिक तरीकों की मदद से टार बॉल्स के स्त्रोत का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। वे टार बॉल्स के प्रबंधन में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रदूषण क्षतिपूर्ति निधि (आईओपीसी) का उपयोग करने पर भी विचार करेंगे, जिसमें भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। एक और मुद्दा जिस पर ध्यान देना है, वह यह जांचना है कि क्या अपतटीय तेल अन्वेषण, पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करते हैं, खासकर तेल रिसाव प्रबंधन के संबंध में क्या वो नियमों को ध्यान में रख रहे हैं। इस जांच में भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समुद्री बोर्ड और गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (सीजेडएमए) शामिल होंगें। उत्तरी गोवा में बारदेज तालुका के नेरुल गांव के नो-डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड) में शेड बनाने के लिए जिस सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, उसकी अनुमति नहीं है। यह शेड मछली पकड़ने से जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों द्वारा बनाए गए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को यह जानकारी 18 अक्टूबर, 2024 को दी गई है। गौरतलब है कि गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (जीसीजेडएमए) ने 17 अक्टूबर, 2024 को एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। इसके मुताबिक यह विवादित संरचनाएं नेरुल गांव के नो डेवलपमेंट जोन में मौजूद हैं। हालांकि अदालती आदेश में कहा गया है कि इसे तोड़े जाने पर रोक का अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा। इस मामले में अंतिम सुनवाई 22 नवंबर, 2024 को होगी।

क्या जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को सीमित कर सकती है मांस और ईंधन की राशनिंग?

मुंबई। क्या मांस और ईंधन जैसी चीजों की राशनिंग जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को सीमित कर सकती है? यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को अटपटा लग सकता है, लेकिन उप्साला और गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ताओं का मत है कि इसकी मदद से बढ़ती खपत के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के पड़ते दुष्प्रभावों को न्यायसंगत तरीके से सीमित किया जा सकता है।

इतना ही नहीं अध्ययन से पता चला है कि करीब 40 फीसदी जनता इस तरह के राशनिंग उपायों के पक्ष में है। इस अध्ययन के नतीजे जर्नल ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुए हैं। इस बारे में अध्ययन से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता ओस्कर लिंडग्रेन ने प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से कहा है कि यह राशनिंग नाटकीय और कठोर लग सकती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ी समस्या है। यही वजह है कि भारी संख्या में लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। राशनिंग के बारे में एक अच्छी बात यह है कि यदि इसे निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए, तो यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में मददगार हो सकती है। हालांकि यह सभी पर लागू होनी चाहिए, चाहे किसी की कितनी भी आय और पैसा क्यों न हो। उनके मुताबिक निष्पक्ष मानी जाने वाली नीतियों को अक्सर कहीं ज्यादा समर्थन मिलता है। वैश्विक स्तर पर देखें तो जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो मांस और ईंधन जैसी चीजों के बढ़ते उपयोग को प्रभावी तरीके से सीमित कर सकें। यह वो चीजें हैं जो पर्यावरण और जलवायु पर गहरा असर डालती हैं। लेकिन साथ ही लोगों द्वारा इनका बड़े पैमाने पर उपभोग भी किया जाता है। ऐसे में अगर लोगों को लगता है कि यह नियम उचित हैं, तभी वो इसका समर्थन करने के लिए अधिक इच्छुक होंगें। रिसर्च के मुताबिक अब तक इस क्षेत्र में किए अधिकांश शोधों में मुख्य रूप से कार्बन कर जैसे आर्थिक साधनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि इस दौरान राशनिंग जैसे अन्य विकल्पों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। जो इस समस्या को हल करने में काफी प्रभावी साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि अपने इस नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने भारत, ब्राजील, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के करीब 9,000 लोगों पर एक सर्वे किया है, जिसमें उनसे ईंधन और मांस जैसे बहुत ज्यादा उत्सर्जन पैदा करने वाले पदार्थों पर उनके विचार मांगे गए। यह भी देखा गया कि लोग ईंधन और मांस जैसे उत्पादों पर कर लगाने की तुलना में इनके उपयोग को सीमित करने के बारे में क्या सोचते हैं।

भारत में 46 फीसदी लोगों ने किया राशनिंग का समर्थन अध्ययन के जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक लोग करों की तरह ही राशनिंग के भी पक्ष में हैं। उदाहरण के लिए, जहां 38 फीसदी लोगों ने ईंधन की राशनिंग का समर्थन किया, वहीं 39 फीसदी ने इसपर कर का भी समर्थन किया। शोधकर्ताओं को यह जानकर हैरानी हुई कि जीवाश्म ईंधन पर राशनिंग और कर लगाने के बारे में लोगों की राय लगभग एक जैसी ही है। उनका सोचना था कि राशनिंग कम लोकप्रिय होगी क्योंकि यह सीधे तौर पर लोगों की खपत को सीमित करती है। अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता मिकेल कार्लसन ने प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से जानकारी दी है कि जर्मनी में जीवाश्म ईंधन पर कर लगाने का विरोध करने वालों की संख्या जीवाश्म ईंधन की राशनिंग का पुरजोर विरोध करने वालों के अनुपात से अधिक है। अध्ययन में यह भी सामने आया है कि राशनिंग को लेकर लोगों की राय हर देश में अलग-अलग है। उदाहरण के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका में, अन्य देशों की तुलना में कहीं ज्यादा लोग ईंधन और उच्च उत्सर्जन करने वाले खाद्य पदार्थों की राशनिंग का समर्थन करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक जहां भारत में 46 फीसदी लोग राशनिंग के पक्ष में थे, वहीं दक्षिण अफ्रीका में यह आंकड़ा 49 फीसदी दर्ज किया गया। वहीं अमेरिका और जर्मनी में महज 29 फीसदी लोग इसके पक्ष में थे। इसी तरह जर्मनी और अमेरिका में बहुत से लोग मांस की राशनिंग के सख्त खिलाफ हैं। शोध के मुताबिक जो लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं, उनके द्वारा इसके समर्थन की संभावना भी अधिक है। इसी तरह युवा और अधिक शिक्षित लोग भी इसके प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस बारे में और अधिक शोध की आवश्यकता है कि लोग राशनिंग के बारे में क्या सोचते हैं और इससे जुड़ी नीतियों को कैसे तैयार किया जाए। कई क्षेत्रों में पानी की राशनिंग हो रही है, और कई लोग जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को सीमित करने के लिए इसके उपयोग में कटौती करने को भी तैयार हैं, बशर्ते सभी लोग ऐसा करने को तैयार हों।

पीएम सूर्य घर योजना

सूरज की किरणों से बिजली बनाने में भी इंदौर पहले स्थान पर

इंदौर में 12 हजार स्थानों पर हो रहा है 100 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन

इंदौर मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर हरक्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहने की दौड़ में शामिल रहता है। देश में स्वच्छता में पहले रहने वाला इंदौर पीएम सूर्यघर योजना लागू होने के बाद से सौर ऊर्जा उत्पादन में मप्र के अन्य शहरों को पछाड़ कर पहले स्थान पर बना हुआ है। इंदौर महानगर क्षेत्र में करीब 12000 स्थानों पर सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, इसकी कुल क्षमता 100 मैगावाट के पार हैं। पीएम सूर्यघर योजना लागू होने के बाद से मालवा - निमाड़ यानि पश्चिम मप्र में सूरज की किरणों से बिजली तैयार करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में अस्सी प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज हुई है, जो कि अपने आप में एक रिकार्ड वृधि है। वर्तमान में पश्चिम मप्र में 20 हजार से अधिक स्थानों, छतों, परिसरों से रूफ टॉप सोलर नेट मीटर के तहत ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, अब प्रतिमाह सौर उर्जा से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं कि संख्या लगभग एक हजार प्रतिमाह हो गयी है

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपलब्ध आंकड़े बताते है कि इस कैलेंडर वर्ष में सौर ऊर्जा के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षण देखा गया है। पीएम सूर्यघर योजना लागू होने के बाद बहुत तेजी से बिजली उपभोक्ताओं का रूझान इस ओर रहा, यहीं कारण हैं कि फरवरी से अक्टूबर के बीच करीब नौ हजार से ज्यादा बिजली उपभोक्ता इससे जुड़े चुके हैं। इन उपभोक्ताओं की छतों, परिसरों पर सौर पैनल्स लग चुके हैं, यहीं नहीं इनकी बिजली भी उत्पादित होकर विधिवत रूप से मीटर और बिलिंग सिस्टम में दर्ज हो रही है। इसका लाभ उपभोक्ताओं द्वारा लिया जा रहा है। कई उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में भारी कमी आई है वहीँ अनेक उपभोक्ताओं के बिल तो क्रेडिट में आ रहे हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में कंपनी क्षेत्र में निम्न दाब और उच्च दाब से संबंद्ध उपभोक्ताओं के यहां 19750 स्थानों पर नेट मीटर लगे हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट के करीब है। सबसे ज्यादा उत्पादन इंदौर शहर क्षेत्र, सुपर कॉरिडोर, बायपास इत्यादि स्थानों पर हो रहा है। इंदौर महानगर क्षेत्र में करीब 12000 स्थानों पर सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, इसकी कुल क्षमता 100 मेगावाट के पार हैं। दूसरे स्थान पर उज्जैन जिला 2200 स्थानों पर, तीसरे स्थान पर देवास जिला 1020 स्थानों पर रूफ टॉप सोलर मीटर वाला हैं। कंपनी क्षेत्र में चौथे स्थान पर रतलाम जिला 755 स्थान, पांचवां स्थान खरगोन जिला 750 स्थान पर हैं। इसके बाद अन्य जिलों में 40 से 450 छतों, परिसरों में रूफ टॉप सोलर नेट मीटर के माध्यम से बिजली उत्पादन हो रहा हैं।

सर्वाधिक सब्सिडी देय

इस वर्ष 22 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रीराम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राणपतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की घोषणा करते हुये कहा था कि इस योजना से भारत के एक करोड़ घरों में सोलर सन्यंत्रों से पैदा होने वाली बिजली से घरों में बिजली का बिल न्यूनतम हो जायेगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के शुरू होने के पहले तीन किलोवाट तक के सोलर पैनल लगवाने पर करीब 43 हजार रूपये सब्सिडी मिलती थी। अब इस योजना में सब्सिडी बढ़ाकर 78 हजार रूपये कर दी गई है। केंद्र शासन वर्ष 2024 के प्रारंभ से ही तीन किलो वॉट तक के सोलर पैनल्स पर अधिकतम 78 हजार रुपए की सब्सिडी दे रही हैं। यह प्रति किलो वॉट के हिसाब से अब तक की अधिकतम सब्सिडी हैं। उपभोक्ता जो राशि खर्च करता है, वह करीब तीन वर्ष में बिल से बच जाती हैं।

घरेलु उपयोग के लिये ही सब्सिडी

रूफटॉप सोलर संयंत्र कोई भी उपभोक्ता अपने घरेलू अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिये स्थापित करवा सकता है लेकिन सब्सिडी केवल घरेलू उपयोग के लिये स्थापित किये जाने वाले ही सोलर संयंत्र पर मिलेगी। घरेलू अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिये लगाये जाने वाले रूफटॉप सोलर संयंत्र के पूर्व यह भी जानना जरूरी है कि उपभोक्ता को कितने किलोवाट का संयंत्र लगवाना है। यदि उसके घर अथवा व्यावसायिक परिसर में बिजली का कनेक्शन कम किलोवाट का है तो सबसे पहले बिजली कम्पनी से उसकी क्षमता यानि जरूरत के मुताबिक किलोवाट स्वीकृत करवा लेना चाहिये। उदाहरण के लिये उपभोक्ता के घर में वर्तमान में 2 किलोवाट का कनेक्शन स्वीकृत है और वह तीन किलोवाट का रूफटॉप सोलर संयंत्र लगवाना चाहता है तो उसे सबसे पहले बिजली कम्पनी से अपने घर के कनेक्शन को तीन किलोवाट में परिवर्तन करवाना होगा। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करें। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा एक किलोवाट पर 30 हजार रुपये, दो किलोवाट पर 60 हजार रुपये और तीन किलोवाट पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। घरेलू उपयोग के लिये उपभोक्ता अधिकतम 10 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करवा सकता है लेकिन सब्सिडी अधिकतम 78 हजार रुपये ही मिलेगी।

रूफ टाप सोलर संयंत्र की कीमत

भारत में रूफ टाप सोलर सन्यंत्र की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस कारण बड़ी संख्या में सोलर पैनल निर्माता के साथ इंवर्टर तथा अन्य सामान का उत्पादन करने वाली कम्पनियां भी बढ़ रही हैं। सोलर पैनल और उपकरणों की कामतें उनकी गुणवत्ता के अनुसार होती हैं इसलिये बाजार का सर्वेक्षण कर लेना उपयुक्त रहता है। आमतौर पर एक किलोवाट क्षमता के संयंत्र लगवाने का खर्च 45 हजार रुपये से लेकर 70 हजार रुपये तक आता है। यह अंतर सोलर पैनल, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर और अन्य सामान की गुणवत्ता के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है। सोलर संयंत्र लगवाते समय संयंत्र की तय राशि देनी होती है। सब्सिडी की राशि बाद में उपभोक्ता के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

सोलर संयंत्र लगवाने की प्रक्रिया

वर्तमान में सोलर सन्यंत्र लगाने के लिये बड़ी संख्या में विक्रेता हैं लेकिन उसी विक्रेता से लगवाना उपयुक्त रहेगा जिसका पंजीयन बिजली कम्पनी अथवा नेशनल पोर्टल में है। विक्रेता का चुनाव और सन्यंत्र लगवाने की सेवा शर्तें पूरी करने के बाद नेशनल पोर्टल http://pmsuryaghar.gov.in पंजीयन करवाना होता है। आमतौर पर पंजीयन और बिजली कम्पनी से सम्बंधित सभी काम विक्रेता ही कर देते है। सभी जानकारी सही देनी चाहिये ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी न हो। बैंक खाता नम्बर भी वही दें जिसमें सब्सिडी हस्तांतरित करवाना चाहते हैं। यदि उपभोक्ता संयंत्र लगवाने के लिये बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो 15 प्रतिशत मार्जिन राशि जमा करनी होगी। शेष राशि करीब 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर अधिसूचित बैंक से मिल जायेगी। पंजीयन स्वयं करें या किसी की मदद से कर रहे हैं अथवा विक्रेता से करवा रहे हैं तो पंजीयन के समय स्वयं भी उपस्थित रहें ताकि सभी जानकारियां सही दर्ज हो।

सोलर संयंत्र का रखरखाव (मेंटेनेंस)

आमतौर से भारत में जितने भी सोलर संयंत्र लगाये जा रहे हैं, सभी विक्रेता आश्वासन देते हैं कि सोलर संयंत्र से 25 साल तक बिजली पैदा होगी। विक्रेता संयंत्र के रखरखाव की पांच साल तक की जिम्मेदारी लेते हैं। बाद में वार्षिक अनुबंध भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सोलर पैनलों की साफ सफाई सप्ताह में एक बार अवश्य करनी चाहिये। धूल जम जाने से बिजली का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। पाइप से तेज पानी की धार से पैनल को साफ करना चाहिये। यदि हाथ से साफ कर रहे है तो हाथ में अंगूठी अथवा कड़ा नहीं पहनना चाहिये। अंगूठी या कड़े से खरोंच आ सकती है जिससे पैनल खराब हो सकता है। यदि कपड़े से साफ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि कपड़े में कोई कंकड़ या रगड़ करने वाली वस्तु न हो। प्लास्टिक फाईबर के वाईपर से सफाई करने से बचना चाहिये क्योंकि फाईबर सख्त होता है जिससे पैनल पर रगड़ आने से खराब होने की सम्भावना होती है। पैनल को कभी भी गरम पानी से साफ नहीं करना चाहिये। पैनल साफ करने का सबसे उपयुक्त समय प्रातः जल्दी और शाम को सूरज ढलने के बाद ही रहता है। रूफटॉप सोलर संयंत्र पर होने वाले खर्च का समायोजन करीब - करीब पांच साल में हो जाता है। उसके बाद अगले 20 से अधिक वर्षों तक बिजली के बिल से राहत मिलेगी।

कॉप-16-कोलंबिया में जैव विविधता शिखर सम्मेलन, क्या हैं नए एजेंडे और पुराने वादों की स्थिति?

कोलंबिया (एजेंसी)। कोलंबिया के कैली शहर में शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन कॉप-16 में लगभग 200 देश इस बात पर विचार-विमर्श करेंगे कि वे प्रकृति को विनाश की वर्तमान तीव्र दर से कैसे बचा सकते हैं

देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे 21 अक्टूबर से एक नवंबर तक चलने वाले कैली शिखर सम्मेलन की शुरुआत तक उन राष्ट्रीय जैव विविधता योजनाओं को सामने लाएं जिन्हें राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्य योजनाएं (एनबीएसएपी) के रूप में जाना जाता है। देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे 21 अक्टूबर से एक नवंबर तक चलने वाले कैली शिखर सम्मेलन की शुरुआत तक उन राष्ट्रीय जैव विविधता योजनाओं को सामने लाएं जिन्हें राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्य योजनाएं (एनबीएसएपी) के रूप में जाना जाता है। करेगा।आज, यानी 21 अक्टूबर से कोलंबिया के कैली शहर में शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन, जिसे कॉप-16 के नाम से जाना जाता है, इस दौरान लगभग 200 देश इस बात पर विचार-विमर्श करेंगे कि वे प्रकृति को विनाश की वर्तमान तीव्र दर से कैसे बचा सकते हैं। कोलंबिया की पर्यावरण मंत्री सुजाना मुहम्मद की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह आयोजन लैटिन अमेरिका से पूरी दुनिया को जलवायु पर कार्रवाई करने और जीवन की सुरक्षा के महत्व के बारे में बताएगा। यह हमारे ग्रह को संरक्षित करने के लिए कोलंबिया की राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो और पूरे देश की प्रतिबद्धता को उजागर करेगा।

कॉप-16 में राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजनाएं विश्व के ऐतिहासिक कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे की मध्यस्थता के दो साल बाद, अब देशों को यह बताना होगा कि वे दुनिया भर में सहमत दो दर्जन से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने की योजना कैसे बना रहे हैं। इनमें संरक्षण के लिए अपने क्षेत्रों का 30 प्रतिशत हिस्सा अलग रखना, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवसायों के लिए सब्सिडी में कटौती करना और कंपनियों को अपने पर्यावरणीय प्रभाव की रिपोर्ट दर्ज करने को अनिवार्य करना शामिल है। जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की सोलहवीं बैठक (कॉप-16) से संबंधित वेबसाइट पर कहा गया है, देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे 21 अक्टूबर से एक नवंबर तक चलने वाले कैली शिखर सम्मेलन की शुरुआत तक उन राष्ट्रीय जैव विविधता योजनाओं को सामने लाएं जिन्हें राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्य योजनाएं (एनबीएसएपी) के रूप में जाना जाता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन प्रस्तुतियों का उपयोग इस बात के आकलन करने के लिए किया जाएगा कि 2022 में कॉप-15 शिखर सम्मेलन के बाद से कितनी प्रगति हुई है और आगे बढ़ने के लिए किन चीजों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों से ली गई आनुवंशिक जानकारी का उपयोग नई दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों या अन्य व्यावसायिक चीजों के शोध और विकास में किया जा सकता है। राष्ट्रीय कानून और 2010 के नागोया प्रोटोकॉल में इस बात पर गौर किया गया था कि नमूनों को साझा करने के लिए इससे संबंधित देशों को किस तरह भुगतान किया जाएगा। लेकिन अब जब जीनोम को सालों के बजाय घंटों में अनुक्रमित किया जा सकता है, तो ऑनलाइन साझा की जाने वाली डिजिटल आनुवंशिक जानकारी की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है और यह मूल नमूनों से तेजी से अलग हो रही है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य उन आंकड़ों तक पहुंच के लिए भुगतान करने हेतु एक वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली स्थापित करना है, जिसे डिजिटल अनुक्रम सूचना (डीएसआई) कहा जाता है। एक समझौते में संभवत: यह स्पष्ट किया जाएगा कि भुगतान कब, किसके द्वारा और कहां किया जाना चाहिए। कंपनियों को उम्मीद है कि संभावित सौदे से डीएनए अनुक्रमों के साथ काम करने की कानूनी अनिश्चितताएं समाप्त हो जाएंगी। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, कॉप-16 के मेजबान देश कोलंबिया ने कैली में स्वदेशी और पारंपरिक समुदायों को अपने एजेंडे के प्रमुख केंद्र में रखा है। जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय - जो मूल 1992 प्रकृति संधि के कार्यान्वयन की देखरेख करता है, इसने स्वैच्छिक अलगाव में स्वदेशी समूहों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने का आह्वान किया है, प्रकृति की रक्षा में इन समुदायों की भूमिका पर जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, कॉप-16 राष्ट्रीय संरक्षण योजनाओं और निर्णयों में पारंपरिक ज्ञान को शामिल करने के लिए एक नए कार्यक्रम को अंतिम रूप देने पर विचार करने की भी बात सामने आई है। शिखर सम्मेलन के वार्ताकार स्वदेशी मुद्दों पर एक स्थायी निकाय के संभावित निर्माण पर भी चर्चा करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने में इन समूहों का प्रतिनिधित्व हो। साल 2022 में मॉन्ट्रियल में कॉप-15 में धनी देशों ने विकासशील देशों को उनके प्रकृति के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने के लिए 2025 से शुरू होने वाले कम से कम 20 बिलियन डॉलर का योगदान देने पर सहमति व्यक्त की, जिसका लक्ष्य 2030 तक 30 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार, सरकारों ने 2022 में विकासशील देशों को जैव विविधता पर मदद करने के लिए लगभग 15.4 बिलियन डॉलर प्रदान किए, जो 2021 में 11.4 बिलियन डॉलर से अधिक है। कैली में सरकारों और कंपनियों दोनों से प्रकृति की ओर धन के लिए नए तंत्रों पर चर्चा करते हुए आगे के वित्तपोषण संबंधी प्रयासों की घोषणा की जा सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि कॉप-16 को नवंबर में अजरबैजान के बाकू में होने वाले कॉप-29 जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले दबाव बढ़ाना चाहिए, ताकि जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने में प्रकृति की भूमिका को बेहतर ढंग से पहचाना जा सके।

मौसम बदला, अरब सागर का सिस्टम कमजोर होने से कंपकंपाएगी उत्तरी हवा

इंदौर. अरब सागर में बना सिस्टम अब धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को इंदौर सहित संभाग के अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान है। चक्रवाती सिस्टम के सक्रिय होने व हवा की दिशा बदलने पर इसका प्रभाव नजर आ सकता है। सोमवार सुबह से हल्के बादल छाए रहे, जो दोपहर तक छंट गए। दिन का तापमान 32.5 व रात का तापमान 20.7 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से शाम होते ही ठंडक का अहसास होने लगा है। सुबह-सुबह कोहरा भी नजर आ रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर(म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008